

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनांशयल्स जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| 12.03.2022  | <p>पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि उसकी खातेदारी व कब्जा काशत की भूमि में अस्पष्ट मुकाम होने से आए दिन विवाद की स्थिति रहती है। अतः पत्थरगढी करवायी जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्थरगढी करवाये जाने हेतु पैरोकार सरकार द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी। अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार निवाई को 500/- रुपये मौका कमिश्नर फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 154/520 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 154/524 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 155 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 156 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 284 रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 306 रकबा 7 बिस्वा, ख0नं0 309 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 310 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्राम सूरिया पटवार मण्डल हनौतिया बुजुर्ग तहसील निवाई का नियमानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।</p> |   |

↓  
12